

राजस्थान सरकार प्रशासन गांवो के संग-2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/01

दिनांक : 17.05.2023

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....लीलाधर.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....श्रीवाराध.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....ऊँदवालिगा.....पटवारी मण्डल.....श्रीलाधर.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्. 2071-74.....के खाता संख्या.....54.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....पु.र.वाराध.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से.....लीलाधर.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....श्रीलाधर.....से करवाने पर पटवारी ने.....पु.र.वाराध.....के
बजाय.....लीलाधर.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....पु.र.वाराध.....
के बजाय.....लीलाधर.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....ऊँदवालिगा.....
के खाता संख्या.....54.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....पु.र.वाराध.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....लीलाधर.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

